मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 10.07.2025

थाना को0देहात, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी/लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 05 शातिर अपराधी अवैध तमंचा, कारतूस व चाकू के साथ गिरफ्तार, चोरी/लूट की 05 अलग-अलग घटनाओं से सम्बन्धित सामान व नगदी बरामद —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान, चोरी/लूट/छिनैती/वाहन चोरी की घटना पर अंकुश लगाने सहित घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी कराये जाने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एसओजी, सर्विलांस व थाना को0देहात की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है । दिनांकः09.07.2025 को थाना को0देहात, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत छितपुर तिराहा-बरकछा खुर्द मार्ग बहदग्राम बरकछा के पास से 02 मोटरसाइकिल सवार कुल 05 नफर शातिर अभियुक्तों 1.पवन उर्फ छोटू कुमार पुत्र सिपाही लाल, 2.सुनील बिन्द उर्फ पूसी पुत्र जयलाल बिन्द, 3.मुर्शीद अली पुत्र मु0ईशा, 4.अमरजीत उर्फ हैदर पुत्र बहादुर बिन्द व 5.राजाबाबू उर्फ रामविलाश पुत्र जगदीश बिन्द को गिरफ्तार किया गया। मौके से गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद वीवो कम्पनी की मोबाइल व 03 अदद चाकू बरामद किया गया तथा दोनों मोटरसाइकिलों के वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-290/2025 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों का एक संगठित गैंग है। हम लोग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी/लूट/छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते है । जिससे प्राप्त धन/सामान को आपस में बांट लेते है। आज हम लोग पुनः कहीं सुनसान स्थान देखकर किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

घटना नं0-01

दिनांकः04.07.2025 को थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत बरकछा कला बीएचयू साउथ कैम्पस के पास मैजिक सवार से बीज व कीटनाशक दवा, एक सैमसंग की मोबाइल एवं ₹ 45500/- नगद लूट की घटना, मु0अ0सं0-286/2025 धारा 309(2),317(2) बीएनएस थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी— लूट की अवशेष धनराशि ₹ 1200/- नगद, अरहर का बीज 36 पैकेट/ 01 किग्रा, कीटनाशक दवा 20 बोतल/01 लीटर, धान का बीज 08पैकेट/ 05 किग्रा, मूली का बीज 10 डिब्बा, लौकी का बीज 03 डिब्बा/100 ग्राम व एलएमएल सीड्स 01 पैकेट 250 ग्राम।

घटना नं0-02

दिनांकः08.07.2025 को थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत छितपुर से मोटरसाइकिल लूट की घटना, मु0अ0सं0-288/2025 धारा 309(2) बीएनएस थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी— लूट की मोटरसाइकिल पैशन प्रो बिना नम्बर प्लेट।

घटना नं0-03

दिनांकः08.06.2024 को थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत सिरसी बघेल व छितपुर के बीच में हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट व आंख चोरी हो जाने की घटना, मु0अ0सं0-258/2025 धारा 305,331 बीएनएस थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी— चोरी के सामान की बिक्री के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 1600/-

घटना नं0-04

दिनांकः25.06.2025 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तुलसी साम्भवी पेट्रोल पम्प से नगदी, 02 मोबाइल व स्कूटी की चाभी चोरी करने की घटना, मु0अ0सं0-267/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी— एक अदद वीवो मोबाइल।

घटना नं0-05

दिनांकः02.07.2025 को थाना को0कटरा क्षेत्रान्तर्गत इण्डियन बैंक इलाहाबाद जंगी रोड़ से एटीएम मशीन तोड़ने के प्रयास की घटना, मु0अ0सं0-192/2025 धारा 62 बीएनएस थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1.पवन उर्फ छोटू कुमार पुत्र सिपाही लाल निवासी रानीबारी थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-25 वर्ष।

2.सुनील बिन्द उर्फ पूसी पुत्र जयलाल बिन्द निवासी इटवा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-20 वर्ष।

3.मुर्शीद अली पुत्र मु0ईशा निवासी महुआरी कला थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-22 वर्ष।

4.अमरजीत उर्फ हैदर पुत्र बहादुर बिन्द निवासी इटवा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-25 वर्ष।

5.राजाबाबू उर्फ रामविलाश पुत्र जगदीश बिन्द निवासी इटवा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-24 वर्ष।

विवरण बरामदगी—

एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस(अभि0पवन उर्फ छोटू कुमार के पास से)
एक अदद वीवो कम्पनी की मोबाइल(अभि0सुनील बिन्द उर्फ पूसी के पास से)
एक अदद चाकू(अभि0मुर्शीद अली के पास से)
एक अदद चाकू मछलीनुमा(अभि0अमरजीत उर्फ हैदर के पास से)
एक अदद चाकू मछलीनुमा(अभि0राजाबाबू उर्फ रामविलाश के पास से)

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-290/2025 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास —

अभियुक्त अमरजीत बिन्द उर्फ हैदर उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0-190/2019 धारा 379/411 भादवि थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।
2.मु0अ0सं0-306/2019 धारा 41/411 भादवि थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।
3.मु0अ0सं0-272/2020 धारा 379/411 भादवि थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।
4.मु0अ0सं0-50/2022 धारा 323,504,506 भादवि,3(1)(द)(ध) व 3(2)vएससी/एसटी एक्ट थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

छितपुर मोड़ बहदग्राम बरकछा के पास से, दिनांकः09.07.2025 को समय 19.21 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

- ☐ प्रभारी निरीक्षक को0देहात-सदानन्द सिंह मय पुलिस टीम।
- ☐ निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।
- ☐ उप-निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह, प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।
- ☐ उप-निरीक्षक रमेश प्रताप सिंह चौकी प्रभारी बरकछा, को0देहात मय पुलिस टीम।
- ☐ उप-निरीक्षक राकेश राय चौकी प्रभारी करनपुर, को0देहात मय पुलिस टीम।